41

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष – एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3507–II / 14 विरूद्ध आदेश दिनांक 18.09.14 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना प्रकरण क्रमांक 124 / 12–13 अपील

1. मातादीन पुत्र सिरनाम सिंह .
2. मुकेश पुत्र सिरनाम सिंह

दोनों जाति–ठाकुर, निवासी–ग्राम तिघरा
तहसील व जिला मुरैना .....आवेदकगण

विरूद्ध

राम अख्त्यार सिंह पुत्र श्री मुरली सिंह
जाति ठाकुर निवासी–ग्राम तिघरा
तहसील व जिला मुरैना ..... अनावेदक

श्री अनिल कुमार सक्सैना एवं श्री एम.पी. भटनागर अधिवक्ता आवेदकगण
श्री आर0डी0 शर्मा, अधिवक्ता

आदेश

(पारित दिनांक 6 सितम्बर 2016)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना के अपील प्रकरण क्रमांक 124 / 12–13 में पारित आदेश दिनाक 18.09.2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959, (जिसे अत्रपश्चात् संहिता कहा जाएगा की) धारा 50 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील मुरैना के ग्राम तिघरा में स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 287 रकवा 0.30 हैक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 542 रकवा 0.65 किता 2 रकवा 0.95 हेक्टेयर, जिसके अभिलिखित भूमि स्वामी रामअख्यार सिंह पुत्र मुरली सिंह एवं अन्य हैं, आवेदक क्रमांक–1 मातादीन एवं अन्य द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर 'निवेदन किया गया कि ग्राम तिघरा की भूमि सर्वे क्रमांक 287 रकवा 0.30 एवं सर्वे क्रमांक 542 रकवा 0.65 किता दो कुल रकवा 0.95 हेक्टेयर के, वे अधिपत्यधारी एवं भूमि स्वामी हैं। आवेदकगण ने जब खसरे की नकल प्राप्त की तो पाया कि बंदोबस्त के दौरान अनावेदकगण के नाम गलत रूप से अंकित कर दिए गए हैं, अतः आवेदकगण के नाम भूमि स्वामी इन्द्राज दुरस्ती के आदेश प्रदान किए जाएं। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 18/अ–74/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 15.09.2006 द्वारा उपर्युक्त भूमियों पर आवेदकगणों के नाम भूमि स्वामी के रूप में इन्द्राज किए जाने का आदेश पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक रामअख्यार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 95/2010–11 अपील माल में पारित आदेश दिनांक 09.10.2012 द्वारा अपील अवधि बाह्य मानकर खारिज की गई। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक रामअख्यार द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 124/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 18.09.2014 द्वारा अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किए गए। अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(3) मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए।

(4) आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा तर्क किया गया कि विवादित भूमि के आवेदकगण भूमि स्वामी हैं। बंदोबस्त के दौरान आवेदकों के नाम गलत रूप से इन्द्राज कर दिए गए थे जिसकी त्रुटि सुधार हेतु आवेदकगण ने संहिता की

धारा 89 के अधीन तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन किया था। विज्ञप्ति का विधिवत् प्रकाशन किया गया था। यह भी तर्क किया गया कि अनावेदक स्वयं तहसील न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ था एवं उसने अपने कथन भी अंकित कराए थे। यह भी तर्क किया गया कि विज्ञप्ति कथन एवं तहसील न्यायालय की आदेश पत्रिका पर उसके (अनावेदक) के हस्ताक्षर भी हैं एवं उसने अपने कथन में बंदोबस्त में त्रुटि होना स्वीकार किया है। उसे आदेश की जानकारी प्रारंभ से ही थी। यह भी तर्क किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित बंदोबस्त त्रुटि सुधार का आदेश विधि सम्मत है। यह भी तर्क किया गया कि अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील को अवधि बाह्य मानकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। यह भी तर्क किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक की सहमति से आदेश पारित किया गया था, इस कारण भी उसकी अपील ग्रहण योग्य नहीं थी।

(5) अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपर्युक्त तर्को का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि अनावेदक को तहसील न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है और न ही सुनवाई का कोई अवसर दिया गया। यह भी तर्क किया गया कि तहसील न्यायालय में वह उपस्थित ही नहीं हुआ है और न ही उसने कोई कथन किए हैं, बल्कि उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके उसके कथन अंकित कराए गए हैं। यह भी तर्क किया गया कि तहसील न्यायालय की आदेश पत्रिका विज्ञप्ति एवं कथनों पर अनावेदक ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं बल्कि विज्ञप्ति, आदेश पत्रिका एवं कथनों पर रामअख्त्यार के जो हस्ताक्षर कराए गए हैं, वे किसी अन्य व्यक्ति से कराए गए हैं। यह भी तर्क किया गया कि अनावेदक अपने हस्ताक्षर **"रामअख्त्यार"** के रूप में करता है। यह भी तर्क किया गया कि तहसील न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 07.06.2006 में प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने, इश्तहार का प्रकाशन कराए जाने एवं आवेदकगण, अनावेदकगणों को स्वयं हमराह साक्षी पेश करें ऐसा उल्लेख किया

गया है एवं प्रकरण 07.07.2006 के लिए नियत किया गया है। दिनांक 07.07.2006 को अनावेदक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके प्रकरण में साक्ष्य ली जाकर प्रकरण 15.09.2006 को आदेश हेतु नियत किया गया है एवं दिनांक 15.09.2006 को आदेश पारित किया गया, जो विधिसम्मत नहीं है। यह भी तर्क किया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदक के पीठ पीछे आदेश पारित किया गया है उसने विचारण न्यायालय के समक्ष कोई कथन नहीं किए हैं और न ही इन्द्राज दुरूस्ती के विषय में अपनी कोई सहमति दी है। यह भी तर्क किया गया कि जब विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया है तब परिसीमा का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उसके द्वारा प्रस्तुत अपील को अवधि बाह्य मानकर खारिज कर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है। यह भी तर्क किया गया कि आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र के समर्थन में ऐसा कोई प्रमाण अर्थात् खसरा या खतोनी की नकल प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह प्रकट हो सके कि उपर्युक्त विवादित भूमियां बंदोबस्त के पूर्व आवेदकगण के स्वत्व एवं स्वामित्व की थी। बिना किसी प्रमाण के उपर्युक्त भूमियों को तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण के स्वत्व की भूमियां मानकर आवेदकगण के नाम इन्द्राज दुरस्ती का आदेश पारित किए जाने में त्रुटि की गई है।

अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया कि अपर आयुक्त महोदय के आदेश के अवलोकन से प्रकट है कि उन्होंने तहसील न्यायालय के इश्तहार प्रकाशन को, आवेदकों द्वारा बिना किसी सूचना के विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने एवं आवेदकों के पक्ष में बयान अंकित किए जाने को संदिग्ध पाया है।

अनावेदक ने अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया कि तहसील न्यायालय के आदेश में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होने से वह

आदेश त्रुटिपूर्ण है। ऐसे त्रुटिपूर्ण आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील अवधि बाह्य मानकर प्रकरण खारिज कर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है।

यह भी तर्क किया गया कि अपर आयुक्त महोदय ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को अवैध पाते हुए निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अपर आयुक्त महोदय का आदेश विधिसम्मत है अतः उसे स्थिर रखा जाए।

(6) मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। तहसील न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 07.06.2006 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकों को सूचना पत्र जारी किए जाने का आदेश पत्रिका में कोई उल्लेख नहीं है बल्कि यह आदेशित किया गया है कि –

"1. प्रकरण पंजीबद्ध किया जावे।

2. इश्तहार का प्रकाशन कराया जावे।

3. आवेदकगण अनावेदकों को स्वयं हमराह साक्षी पेश करें।

4. पटवारी मौजा मय रिकार्ड के उपस्थित हों।"

एवं प्रकरण 07.07.06 के लिए नियत किया गया। आदेश पत्रिका दिनांक 07.07.2006 का अवलोकन किया गया जिस पर अनावेदक रामअख्त्यार के **"रामखतियार"** के रूप में हस्ताक्षर हैं। तहसील न्यायालय की नस्ती के पृष्ठ–5 पर संलग्न विज्ञप्ति का अवलोकन किया गया जिस पर जारी किए जाने का दिनांक अंकित है। इस विज्ञप्ति के पिछले पृष्ठ पर अनावेदक के **"रामखतियार"** के रूप में ही हस्ताक्षर हैं। तहसील न्यायालय द्वारा इश्तहार दिनांक 07.06.2006 को जारी किया गया है, किन्तु उसका प्रकाशन तहसील न्यायालय के सूचना पटल तथा सार्वजनिक स्थल पर किस दिनांक को किया गया इसका कोई उल्लेख नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार तहसील न्यायालय की नस्ती के पृष्ठ 8 पर रामअख्त्यार के कथन अंकित किए गए हैं, जिसके नीचे अनावेदक के हस्ताक्षर **"रामखतियार"** के रूप में ही हैं जबकि इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत

वकालतनामा पर उसने अपने हस्ताक्षर **"रामअख्त्यार"** के रूप में किए हैं। तहसील न्यायालय की प्रथम आदेश पत्रिका दिनांक 07.06.2006 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक को किसी प्रकार का व्यक्तिगत सूचना पत्र जारी नहीं किया गया है बल्कि आवेदकगण को ही आदेशित किया गया है कि वे स्वयं अनावेदकों को पेश करें। इस प्रकार तहसील न्यायालय की समस्त कार्यवाही एवं पारित आदेश विधिक प्रक्रिया एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत का उल्लंघन होने से त्रुटिपूर्ण है। ऐसे त्रुटिपूर्ण आदेश को अवधि के प्रश्न के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कायम रखने में त्रुटि की गई है। जब अनावेदक को तहसील न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई तब उसके द्वारा प्रस्तुत अपील को अवधि के प्रश्न पर खारिज करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है।

अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से प्रकट है कि अपर आयुक्त ने तहसील न्यायालय द्वारा जारी इश्तहार के प्रकाशन, अनावेदकों का बिना किसी सूचना के विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना एवं आवेदकों के पक्ष में बयान अंकित कराने को संदिग्ध पाया है। अपर आयुक्त द्वारा यह भी निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदकों द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष अपने आवेदन के समर्थन में बंदोबस्त के पूर्व का कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधि एवं अभिलेख संगत है जिसमें हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(7) उपर्युक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि तहसील न्यायालय द्वारा अत्यंत जल्दबाजी में विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत आवेदकों के पक्ष में बंदोबस्त के पूर्व के किसी अभिलेख के बिना उपर्युक्त भूमियों पर आवेदकों के नाम इन्द्राज दुरस्ती किए जाने का पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है, जिसे स्थिर रखने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है। ऐसे अवैधानिक आदेशों को अपर आयुक्त द्वारा निरस्त किया जाना विधि संगत है।

(8) परिणामतः यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। तथा तहसीलदार मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.09.2006 एवं अनुविभागीय अधिकारी मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.10.2012 निरस्त किए जाते हैं एवं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.09.2014 स्थिर रखा जाता है।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल,म0प्र0, ग्वालियर